

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प.14(4)शिक्षा-1/जिला बांसवाडा/2014

जयपुर, दिनांक: 20/10/14

आदेश

इस विभाग के आदेश संख्या: प.14(4)शिक्षा-1/जिला बांसवाडा/2014 दिनांक 14.8.2014 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में अन्य राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय समन्वित करते हुये आदर्श विद्यालयों का गठन किया गया था। इसके पश्चात् विभिन्न स्तरों यथा-राज्य सरकार, जिला कलक्टर, जिला शिक्षा अधिकारियों को आदर्श विद्यालयों के संबंध में कुल .... शिकायतें/परिवेदनाएँ प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों/परिवेदनाओं का विस्तृत रूप से परीक्षण किया गया, जिनमें कुल .... शिकायतें/परिवेदनाएँ सही पाई गई। परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से पृथक किये जाने आवश्यक हैं। परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित सूची के कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालयों को समन्वयन से पृथक कर यथावत: संचालन किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

ब्लॉक का नाम :- तलवाड़ा

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरवानिया	सुरवानिया	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरवानिया	राप्रावि, हरिजन बस्ती राप्रावि, सुरवानिया	राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिजन बस्ती	अनु.जाति बस्ती में विद्यालय स्थित है एवं नामांकन 81 का है।
2	भचडिया	सुन्दरग्राम	राजकीय माध्यमिक विद्यालय भचडिया	राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुन्दरग्राम-II राप्रावि, भचडिया	राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुन्दरग्राम-II	दूरी अधिक होने के कारण

ब्लॉक का नाम :- घाटोल

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	घाटोल	घाटोल	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटोल	उप्रावि लवाशा घाटोल उप्रावि. तेलीवाडा, घाटोल प्रावि, हरिजन बस्ती उप्रावि, हरिजन बस्ती	उप्रावि. लवाशा, घाटोल उप्रावि, हरिजन बस्ती	अनु. जाति बाहुल्य क्षेत्र एवं नामांकन पर्याप्त एवं दूरी अधिक

रुली



ब्लॉक का नाम :- गढ़ी

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	सरेडी छोटी	सरेडी छोटी	राजकीय माध्यमिक विद्यालय सरेडी छोटी	राप्रावि, नई आबादी, सरेडी छोटी प्रावि सरेडी छोटी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नई आबादी, सरेडी छोटी	जनजाति बाहुल्य क्षेत्र एवं दूरी अधिक

ब्लॉक का नाम :- बागीदौरा

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	बारीगामा	बारीगामा	रामावि, बारीगामा	राप्रावि, कुपडाफला राप्रावि, बारीगामा	राप्रावि, कुपडाफला	दूरी अधिक


ब्लॉक का नाम :- छोटी सरवन

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	दानपुर	मानपुरी	राउमावि, दानपुर	रा.प्रा.वि.मानपुरी राप्रावि, हरिजन बस्ती राउप्रावि, दानपुर राप्रावि, आम्बापाडा	रा.प्रा.वि.मानपुरी	मानपुरी पृथक राजस्व गांव है एवं दूरी 1.5 कि. मी. है




क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
2	दानपुर	दानपुर	रा.उ.भा.वि. दानपुर	रा.प्रा.वि. हरिजन बस्ती	रा.प्रा.वि. हरिजन बस्ती	अजा बस्ती, नामांकन अधिक होने, राजस्व गांव अलग होने से
3	खजुरी	खजुरी	राजकीय माध्यमिक विद्यालय खजुरी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय भमरीया पाडा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय भमरीया पाडा	दुरी अधिक होने से एवं बीच में नाला होने से
4	छायनवडी	छायनवडी	रा.मा.वि. छायनवडी	रा.शि.प्रा.वि.कदवाली	रा.शि.प्रा.वि.कदवाली	राजस्व गांव अलग है।
5	छायनवडी	छायनवडी	रा.मा.वि. छायनवडी	रा.प्रा.वि.रेटिया	रा.प्रा.वि.रेटिया	राजस्व गांव अलग है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से  
  
 (अन्तर सिंह नेहरा)  
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव-प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय।
4. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
8. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
9. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
10. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
13. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
14. जिला कलक्टर, .....।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/प्रा.शि. (आयोजना)/शिक्षा (गुप-2)।
16. शासन उप सचिव, तृतीय शिक्षा (गुप-6)।
17. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-5)।
18. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-1)।
19. शिक्षा उप निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, .....।
20. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय), .....।
21. रक्षित पत्रावली।

  
 संयुक्त शासन सचिव